

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प. 3(4)नविवि/2021पार्ट-1


जयपुर, दिनांक: 10 SEP 2021

आदेश

इस विभाग के आदेश दिनांक 28.08.2021 द्वारा श्री सर्वेश्वर शरण व्यास, उप नगर नियोजक का कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर से नगर विकास न्यास, आबू रोड़ में किये गये स्थानान्तरण/पदस्थापन को निरस्त कर इनका पदस्थापन यथावत (कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर) किये जाने के आदेश एतत्तद्वारा तुरन्त प्रभाव से जारी किये जाते हैं।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(नवनीत कुमार)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास, आबू रोड़।
6. कार्यालय वरिष्ठ नगर नियोजक, उदयपुर जोन, उदयपुर।
7. श्री सर्वेश्वर शरण व्य स, उप नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, आबू रोड़।
8. रक्षित पत्रावली/निजी पत्रावली।


10/9/2021
संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय